

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम- पटना, दरभंगा एवं बेगूसराय।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद्- बाढ़, दानापुर, मोकामा, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, बक्सर, भभुआ, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, हाजीपुर, महनार, ढाका, रक्सौल, बेनीपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सुल्तानगंज, गोपालगंज, मधेपुरा, खगड़िया, नवादा, अररिया एवं फारबिसगंज।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत- मनेर, विक्रम, मोहनियाँ, पीरो, जगदीशपुर, शाहपुर, नोखा, कोचस, कोआथ, ईसलामपुर, राजगीर, नवगछिया, कहलगांव, डुमरा, सुरसंड, महुआ, केसरिया, रामनगर, घोघरडीहा, दलसिंहसराय, बड़हिया, गोगरी जमालपुर, बखरी, तेघड़ा, मढ़ौरा, एकमा बाजार, महाराजगंज, निर्मली, मुरलीगंज, जोगवनी, मनिहारी एवं बारसोई।

पटना, दिनांक-

विषय:- विभागीय संकल्प सं०- 2523, दिनांक- 19.05.2015 के आलोक में राज्य के नगर निकायों के महापौर/उप महापौर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सभापति/उपसभापति तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौतीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०- 2523, दिनांक- 19.05.2015 के आलोक में राज्य के नगर निकायों के महापौर/उप महापौर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सभापति/उपसभापति तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता में वृद्धि की गयी है। इस संबंध में पूर्व के संकल्प सं०- 3217, दिनांक- 20.06.2008, संकल्प सं०- 2752, दिनांक- 14.11.2013 एवं संकल्प सं०- 2373, दिनांक- 08.08.2014 को विलोपित कर दिया गया है। पुनरीक्षित निर्धारित दर के अनुसार नियत मासिक भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय राज्यादेश सं०-76 दिनांक-31/01/19 के आलोक में कुल ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौतीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

जिला	क्र०	नगर निकायों का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निकायों के निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों के लिए नियत भत्ता की वार्षिक अनुमान्य राशि
1	2	3	4
पटना	1	पटना नगर निगम	24,54,000.00
कुल (क)			24,54,000.00

4

दरभंगा	2	दरभंगा नगर निगम	16,44,000.00
बेगुसराय	3	बेगुसराय नगर निगम	15,54,000.00
कुल (ख)			31,98,000.00
पटना	4	नगर परिषद, बाढ़	6,66,000.00
	5	नगर परिषद, दानापुर	9,00,000.00
	6	नगर परिषद, मोकामा	6,84,000.00
	7	नगर परिषद, मसौढ़ी	6,48,000.00
	8	नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	6,84,000.00
बक्सर	9	नगर परिषद, बक्सर	7,92,000.00
कैमूर	10	नगर परिषद, भभुआ	6,30,000.00
जहानाबाद	11	नगर परिषद, जहानाबाद	7,74,000.00
अरवल	12	नगर परिषद, अरवल	6,30,000.00
औरंगाबाद	13	नगर परिषद, औरंगाबाद	7,74,000.00
वैशाली	14	नगर परिषद, हाजीपुर	8,82,000.00
	15	नगर परिषद, महनार	6,66,000.00
पूर्वी चम्पारण	16	नगर परिषद, ढाका	6,30,000.00
	17	नगर परिषद, रक्सौल	6,30,000.00
दरभंगा	18	नगर परिषद, बेनीपुर	7,02,000.00
मधुबनी	19	नगर परिषद, मधुबनी	7,20,000.00
समस्तीपुर	20	नगर परिषद, समस्तीपुर	7,02,000.00
भागलपुर	21	नगर परिषद, सुल्तानगंज	6,30,000.00
गोपालगंज	22	नगर परिषद, गोपालगंज	6,84,000.00
मधेपुरा	23	नगर परिषद, मधेपुरा	6,48,000.00
नवादा	24	नगर परिषद, नवादा	7,74,000.00
अररिया	25	नगर परिषद, अररिया	7,02,000.00
	26	नगर परिषद, फारबिसगंज	6,30,000.00
कुल (ग)			1,61,82,000.00
पटना	27	नगर पंचायत, मनेर	3,36,000.00
	28	नगर पंचायत, विक्रम	2,76,000.00
कैमूर	29	नगर पंचायत, मोहनिया	3,00,000.00
भोजपुर	30	नगर पंचायत, पीरो	3,12,000.00
	31	नगर पंचायत, जगदीशपुर	3,24,000.00
	32	नगर पंचायत, शाहपुर	2,40,000.00
रोहतास	33	नगर पंचायत, नोखा	2,88,000.00
	34	नगर पंचायत, कोचस	3,00,000.00
	35	नगर पंचायत, कोआथ	2,52,000.00
नालंदा	36	नगर पंचायत, ईसलामपुर	3,36,000.00
	37	नगर पंचायत, राजगीर	3,36,000.00
भागलपुर	38	नगर पंचायत, नवगछिया	3,84,000.00
	39	नगर पंचायत, कहलगांव	3,12,000.00
सीतामढ़ी	40	नगर पंचायत, डुमरा	2,40,000.00
	41	नगर पंचायत, सुरसंड	3,36,000.00
वैशाली	42	नगर पंचायत, महुआ	3,00,000.00

5

पू० चम्पारण	43	नगर पंचायत, केसरिया	2,40,000.00
प० चम्पारण	44	नगर पंचायत, रामनगर	3,84,000.00
मधुबनी	45	नगर पंचायत, घोघरडीहा	2,40,000.00
समस्तीपुर	46	नगर पंचायत, दलसिंहसराय	2,76,000.00
लखीसराय	47	नगर पंचायत, बड़हिया	3,96,000.00
खगड़िया	48	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर	3,48,000.00
बेगूसराय	49	नगर पंचायत, बखरी	3,48,000.00
	50	नगर पंचायत, तेघड़ा	4,08,000.00
सारण	51	नगर पंचायत, मढ़ौरा	3,00,000.00
	52	नगर पंचायत, एकमा बाजार	3,36,000.00
सिवान	53	नगर पंचायत, महाराजगंज	2,76,000.00
सुपौल	54	नगर पंचायत, निर्मली	2,52,000.00
मधेपुरा	55	नगर पंचायत, मुरलीगंज	2,88,000.00
अररिया	56	नगर पंचायत, जोगवनी	3,36,000.00
कटिहार	57	नगर पंचायत, मनिहारी	2,88,000.00
	58	नगर पंचायत, बारसोई	3,12,000.00
कुल (घ)			99,00,000.00
कुल योग (क+ख+ग+घ)			3,17,34,000.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौंतीस हजार रु०) मात्र।

2. कुल आवंटित राशि ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौंतीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

4

5. उक्त आवंटित ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौंतीस हजार रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जाएगी :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹24.54000 लाख (चौबीस लाख चौवन हजार रु०) मात्र, जो पटना नगर निगम के लिए उपबंधित है, की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0106-नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड- **48-2217011910106**, विषय शीर्ष- 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि की निकासी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा की जायेगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 2 से 3 के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹31.98000 लाख (एकतीस लाख अठानवे हजार रु०) मात्र, जो पटना नगर निगम को छोड़कर राज्य के अन्य नगर निगमों के लिए उपबंधित है, की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड- **48- 2217031910102**, विषय शीर्ष-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि की निकासी पटना नगर निगम को छोड़ कर अन्य संबंधित नगर निगमों के नगर आयुक्तों द्वारा की जायेगी।

(ग) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 4 से 26 तक के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹161.82000 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख बेरासी हजार रु०) मात्र, जो राज्य के सभी नगर परिषदों के लिए उपबंधित है, की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगरपालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष-0102-नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड- **48-2217031920102**, विषय शीर्ष-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि की निकासी संबंधित नगर परिषदों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी।

(घ) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 27 से 58 तक के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹99.00000 लाख (निनानवे लाख रु०) मात्र, जो राज्य के सभी नगर पंचायतों के लिए उपबंधित है, की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड- **48-2217031930102**, विषय शीर्ष-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि की निकासी संबंधित नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी।

७

6. राशि की निकासी के उपरांत नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने नगर निकाय के निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों को विभागीय संकल्प सं०- 2523, दिनांक- 19.05.2015 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक माह अनुमान्य राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
9. सहायक अनुदान के रूप में उक्त राशि के व्यय हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं०- 2ब०/विविध-21-16/2018 के पृष्ठ- 03/टि० पर दिनांक- 17.12.2018 को प्राप्त है।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-16/2018 76 /न०वि०एवंआ०वि/पटना, दिनांक-31/01/19
प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय एम०आई०एस० कोषांग, इन्दिरा भवन, पटना को आवंटन के अनुश्रवण हेतु/विभागीय सी०जी०आर०सी० को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-21/01/19

विषय:- विभागीय संकल्प सं०- 2523, दिनांक- 19.05.2015 के आलोक में राज्य के नगर निकायों के महापौर/उप महापौर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सभापति/उपसभापति तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौतीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०- 2523, दिनांक- 19.05.2015 के आलोक में राज्य के नगर निकायों के महापौर/उप महापौर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सभापति/उपसभापति तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता में वृद्धि की गयी है। इस संबंध में पूर्व के संकल्प सं०- 3217, दिनांक- 20.06.2008, संकल्प सं०- 2752, दिनांक- 14.11.2013 एवं संकल्प सं०- 2373, दिनांक- 08.08.2014 को विलोपित कर दिया गया है। पुनरीक्षित निर्धारित दर के अनुसार नियत मासिक भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौतीस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

जिला	क्र०	नगर निकायों का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निकायों के निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों के लिए नियत भत्ता की वार्षिक अनुमान्य राशि
1	2	3	4
पटना	1	पटना नगर निगम	24,54,000.00
कुल (क)			24,54,000.00
दरभंगा	2	दरभंगा नगर निगम	16,44,000.00
बेगुसराय	3	बेगुसराय नगर निगम	15,54,000.00
कुल (ख)			31,98,000.00
पटना	4	नगर परिषद, बाढ़	6,66,000.00
	5	नगर परिषद, दानापुर	9,00,000.00
	6	नगर परिषद, मोकामा	6,84,000.00
	7	नगर परिषद, मसौढ़ी	6,48,000.00
	8	नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	6,84,000.00

बक्सर	9	नगर परिषद, बक्सर	7,92,000.00
कैमूर	10	नगर परिषद, भभुआ	6,30,000.00
जहानाबाद	11	नगर परिषद, जहानाबाद	7,74,000.00
अरवल	12	नगर परिषद, अरवल	6,30,000.00
औरंगाबाद	13	नगर परिषद, औरंगाबाद	7,74,000.00
वैशाली	14	नगर परिषद, हाजीपुर	8,82,000.00
	15	नगर परिषद, महनार	6,66,000.00
पूर्वी चम्पारण	16	नगर परिषद, ढाका	6,30,000.00
	17	नगर परिषद, रक्सौल	6,30,000.00
दरभंगा	18	नगर परिषद, बेनीपुर	7,02,000.00
मधुबनी	19	नगर परिषद, मधुबनी	7,20,000.00
समस्तीपुर	20	नगर परिषद, समस्तीपुर	7,02,000.00
भागलपुर	21	नगर परिषद, सुल्तानगंज	6,30,000.00
गोपालगंज	22	नगर परिषद, गोपालगंज	6,84,000.00
मधेपुरा	23	नगर परिषद, मधेपुरा	6,48,000.00
नवादा	24	नगर परिषद, नवादा	7,74,000.00
अररिया	25	नगर परिषद, अररिया	7,02,000.00
	26	नगर परिषद, फारबिसगंज	6,30,000.00
कुल (ग)			1,61,82,000.00
पटना	27	नगर पंचायत, मनेर	3,36,000.00
	28	नगर पंचायत, विक्रम	2,76,000.00
कैमूर	29	नगर पंचायत, मोहनिया	3,00,000.00
भोजपुर	30	नगर पंचायत, पीरो	3,12,000.00
	31	नगर पंचायत, जगदीशपुर	3,24,000.00
	32	नगर पंचायत, शाहपुर	2,40,000.00
रोहतास	33	नगर पंचायत, नोखा	2,88,000.00
	34	नगर पंचायत, कोचस	3,00,000.00
	35	नगर पंचायत, कोआथ	2,52,000.00
नालंदा	36	नगर पंचायत, ईसलामपुर	3,36,000.00
	37	नगर पंचायत, राजगीर	3,36,000.00
भागलपुर	38	नगर पंचायत, नवगछिया	3,84,000.00
	39	नगर पंचायत, कहलगांव	3,12,000.00
सीतामढ़ी	40	नगर पंचायत, डुमरा	2,40,000.00
	41	नगर पंचायत, सुरसंड	3,36,000.00
वैशाली	42	नगर पंचायत, महुआ	3,00,000.00
पू० चम्पारण	43	नगर पंचायत, केसरिया	2,40,000.00
प० चम्पारण	44	नगर पंचायत, रामनगर	3,84,000.00
मधुबनी	45	नगर पंचायत, घोघरडीहा	2,40,000.00
समस्तीपुर	46	नगर पंचायत, दलसिंहसराय	2,76,000.00
लखीसराय	47	नगर पंचायत, बड़हिया	3,96,000.00
खगड़िया	48	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर	3,48,000.00
बेगूसराय	49	नगर पंचायत, बखरी	3,48,000.00
	50	नगर पंचायत, सैघड़ा	4,08,000.00

सारण	51	नगर पंचायत, मढ़ौरा	3,00,000.00
	52	नगर पंचायत, एकमा बाजार	3,36,000.00
सिवान	53	नगर पंचायत, महाराजगंज	2,76,000.00
सुपौल	54	नगर पंचायत, निर्मली	2,52,000.00
मधेपुरा	55	नगर पंचायत, मुरलीगंज	2,88,000.00
अररिया	56	नगर पंचायत, जोगवनी	3,36,000.00
कटिहार	57	नगर पंचायत, मनिहारी	2,88,000.00
	58	नगर पंचायत, बारसोई	3,12,000.00
कुल (घ)			99,00,000.00
कुल योग (क+ख+ग+घ)			3,17,34,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौंतीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. कुल स्वीकृत राशि ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौंतीस हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. उक्त स्वीकृत ₹317.34000 लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख चौंतीस हजार रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जाएगी :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹24.54000 लाख (चौबीस लाख चौवन हजार रु०) मात्र, जो पटना नगर निगम के लिए उपबंधित है, की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु

शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0106-नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड- **48-2217011910106**, विषय शीर्ष- 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी। **इस राशि की निकासी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा की जायेगी।**

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 2 से 3 के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹31.98000 लाख (एकतीस लाख अठानवे हजार रु०) मात्र, जो पटना नगर निगम को छोड़कर राज्य के अन्य नगर निगमों के लिए उपबंधित है, की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड- **48- 2217031910102**, विषय शीर्ष-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी। **इस राशि की निकासी पटना नगर निगम को छोड़ कर अन्य संबंधित नगर निगमों के नगर आयुक्तों द्वारा की जायेगी।**

(ग) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 4 से 26 तक के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹161.82000 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख बेरासी हजार रु०) मात्र, जो राज्य के सभी नगर परिषदों के लिए उपबंधित है, की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगरपालिकाओं-नगर परिषद को सहायता, उपशीर्ष-0102-नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड- **48-2217031920102**, विषय शीर्ष-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी। **इस राशि की निकासी संबंधित नगर परिषदों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी।**

(घ) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 27 से 58 तक के सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹99.00000 लाख (निनान्चे लाख रु०) मात्र, जो राज्य के सभी नगर पंचायतों के लिए उपबंधित है, की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड- **48-2217031930102**, विषय शीर्ष-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी। **इस राशि की निकासी संबंधित नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी।**

6. राशि की निकासी के उपरांत नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने नगर निकाय के निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों को विभागीय संकल्प सं०- 2523, दिनांक- 19.05.2015 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक माह अनुमान्य राशि का भुगतान किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
9. सहायक अनुदान के रूप में उक्त राशि के व्यय हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं०- 2ब०/विविध-21-16/2018 के पृष्ठ- 03/टि० पर दिनांक- 17.12.2018 को प्राप्त है।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं० 2ब०/विविध-21-16/2018 के पृष्ठ सं०-...../टि० पर दिनांक-..... को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ सं०-...../टि० पर दिनांक-..... को प्राप्त है।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.01.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-16/2018 (2) /न०वि०एवंआ०वि/पटना, दिनांक-21/01/19
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/नगर आयुक्त संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय एम०आई०एस० कोषांग, इन्दिरा भवन, पटना को आवंटन के अनुश्रवण हेतु/विभागीय सी०जी०आर०सी० को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.01.19

सरकार के विशेष सचिव।